दिनाँक :- 23-08-2022

यह प्रार्थनापत्र अभियुक्त साहबलाल की ओर से अ०सं० 0411/2021, अन्तर्गत धारा– 323, 452, 354, 506 भा०दं०सं०, थाना- बांगरमऊ, जिला- उन्नाव, के प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त दि० 22-08-2022 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त दि० 22-08-2022 से आत्मसमर्पण कर जिला कारागार में निरूद्ध है। मामले में आरोप पत्र दाखिल होकर प्रसंज्ञान लिया जा चुका है। आपराधिक इतिहास के संबंध में थाने से कोई आख्या प्राप्त नहीं है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये आधार जमानत पर्याप्त है। अभियुक्त द्वारा 20-20 हजार रूपये की दो जमानते व उसी धनराशि का निजी वन्धपत्र दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(कविता अग्रवाल)
आई०डी०–यू०पी० 1937
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट सं०- 01, उन्नाव।